राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1213/2025

अशोक कुमार –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. उप–निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान।
4. विजय लक्ष्मी शर्मा आयुर्वेद नर्स कम्पाउंडर हडिया रोत दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विष्णु कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद नर्स/कम्पाउंडर के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय कुम्हेर, जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, हडिया रोत जिला दौसा में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। अपीलार्थी दाये पैर से विकलांग है जिसका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सर्टिफिकेट नम्बर 827/2003 दिनांकित 14.10.2003 जारी किया हुआ है जिसमें अपीलार्थी के 40 प्रतिशत तक स्थायी निशक्तता इन्द्राज है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी की पत्नी "Marginal Bulky Uterus" "Gall blader Shows multiple shadowing echo densites on eof them measuering approx (12.1 mm) in Lumen casting distal acountic shadows" "Mulitiple Choletithiasis" नामक बीमारी से पीड़ित चल रही है जिसका ईलाज लगातार Jindal Super Speciality Hospital भरतपुर में चल रहा है। अपीलार्थी की पत्नी के बच्चेदानी का भी ऑपरेशन होना है। यदि ऑपरेशन नहीं किया गया तो अपीलार्थी की पत्नी केंसर

पीड़ित हो सकती है। चिकित्सा दस्तावेज अनुलग्नक–3 पर संलग्न है। अपीलार्थी के पिता हार्ट पेशेन्ट है एवं माताजी अस्थमा से पीड़ित चल रही है। अपीलार्थी के दो छोटे–छोट बच्चे है। अपीलार्थी के परिवार की देखभाल करने वाला अन्य कोई परिजन नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजकीय आयुर्वेद औषधालय कुम्हेर, जिला भरतपुर से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, हडिया रोत जिला दौसा में किया गया है। अपीलार्थी दाये पैर से 40 प्रतिशत विकलांग है। दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य